

(614)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प 10(132)नवि/3/2009

जयपुर, दिनांक:

14 JUN 2017

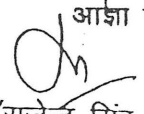
आदेश

विषय:- रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 तथा राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) रूल्स, 2017 की वेबसाइट आदि के संबंध में नगरीय विकास विभाग व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य समन्वय एवं सुगमता स्थापित करने हेतु नियुक्ति बाबत।

राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय अधिनियम Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्याक 16) के अन्तर्गत Rajasthan Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 दिनांक 01.05.2017 से प्रभावे किये जा चुके हैं। उक्त अधिनियम व नियमों के प्रावधानानुसार राज्य में स्थित सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, प्रमोटरर्स एवं एजेन्ट्स एवं इनके पंजीयन से संबंधित डाटा आधारित सूचना लोक परिदृश्य के लिए प्रदर्शित कराने व उनके संधारण निमित्त राज्य सरकार द्वारा वेबसाइट बनाई जा चुकी है।

अतः रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 तथा राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) रूल्स, 2017 की वेबसाइट के संबंध में नगरीय विकास विभाग व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य समन्वय एवं सुगमता स्थापित करने हेतु श्री अर्पित संचेती, सहायक नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को एतद्वारा RERA के तहत पंजीकरण करने के लिए एवं रजिस्ट्रार, रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है एवं निर्देश दिये जाते हैं कि श्री संचेती उक्त वेबसाइट में डाटा आधारित सूचना लोक परिदृश्य हेतु प्रदर्शित कराने, उनके संधारण करने व रख-रखाव करने हेतु नगरीय विकास विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य समन्वय एवं सुगमता स्थापित करने का कार्य तत्काल प्रभाव से सम्पादित करेंगे।

आज्ञा से,

 12/6/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शारान सचिव-प्रथम